ऑन लाईन नं. GCMS 2025/27

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 08/2025

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल —(मालिक व विक्रेता)—
   वार्ड नं. 07 गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
   मै. जगदंबा किरयाना स्टोर, शॉप नं. 5, अग्रवाल धर्मशाला के पास, सादुलशहर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 07.03.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया निरन्तरता में परिवादी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक–प.5 (01) चिस्वा/ ग्रुप–3–2023 दिनांक 1.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक– आयुक्ता–खासुऔनि / संस्था /2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2024 को समय दोपहर 1:50 पी.एम. बजे **मैसर्स –जगदम्बा किरयाना स्टोर, शॉप नं.–04,05, अग्रवाल धर्मशाला के पास सादुलशहर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचा मौके पर विक्रेता **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल** को अपना परिचय दे कर संस्थान के रेंक मे **सरसों का तेल (जे.के गोल्ड ब्राण्ड)** 500 एम एल के बोटल पैक के 32 नग के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के रैंक में **सरसों का तेल (जे.के गोल्ड ब्राण्ड)** 500 एम एल के बोटल पैक के 32 नग को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से सरसों का तेल (जे.के गोल्ड ब्राण्ड) नमूना जॉच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे सरसों का तेल (जे. के गोल्ड ब्राण्ड) 500 एम एल के बोटल पैक के 32 नग में से 4 मूल बोटल पैक (500एमएल गुणा 4= 2000 एमएल खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल (जे. के गोल्ड ब्राण्ड)** को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा सरसों का तेल (जे. के गोल्ड ब्राण्ड) का नगद भुगतान 260 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल (जे. के गोल्ड ब्राण्ड)** 04 मूल पैक (500एमएल गुणा4 2000 एमएल) खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल (जे. के गोल्ड ब्राण्ड)** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2356** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–2356** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व पेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./770/Act/2024/770 Dated 14-06-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2356 Substandard Food** होना पाया गया। डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वार विकेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया गया, जिस पर विकेता एवं मालिक द्वारा रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु दिनांक 19.07.2024 को आवेदन करने पर नमूला जांच हेतु रेफरल लैब मैसूर भेजा गया। रेफरल फूड लैबोरेट्री सीएस आई आर–सी टी आर आई, मैसूर के पत्र कमांक FT/AQCL/FSSA(1043F)/2024 दिनांक 23.10.2024 द्वारा **सरसों का तेल(जेके गोल्ड ब्रांड)** नमूना **Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल (मालिक व विक्रेता), वार्ड नं. 07 गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, मै. जगदंबा किरयाना स्टोर, शॉप नं. 5, अग्रवाल धर्मशाला के पास, सादुलशहर** द्वारा अमानक स्तर का **सरसों का तेल(जेके गोल्ड ब्रांड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि निवेदन है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 5 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स जगदम्बा किरायाना स्टोर दुकान नम्बर 5 अग्रवाल धर्मशाला के पास सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 314/25 दिनांक 27-2-2025 का दिया है कि आपकी दुकान मे सरसो के तेल की जांच की गई तो सरसो के तेल substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त सरसो के तेल में सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 8/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों का तेल(जेके गोल्ड ब्रांड)** का सैम्पल **K-2356** रेफरल फूड लैबोरेट्री सीएस आई आर–सी टी आर आई, मैसूर कमांक FT/AQCL/FSSA(1043F)/2024 दिनांक 23.10.2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त सरसो के तेल में सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 8/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया sample of Mustard Oil **Substandard** as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act-2006 as it does not conform to the standard laid down for **Mustard Oil** under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री उमा शंकर पुत्र श्री मेघराज सिंघल (मालिक व विक्रेता), वार्ड नं. 07 गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, मै. जगदंबा किरयाना स्टोर, शॉप नं. 5, अग्रवाल धर्मशाला के पास, सादुलशहर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।